(21)

राजस्थान सरकार
नगरीय शासन

क्रमांक प० 3(66)नविवि/3/02 जयपुर, दिनांक :– 23 MAR 2007

आदेश

नगरीय विकास विभाग के स्तर पर अधिसूचना क्रमांक प. 10(1)नविवि/3, दिनांक 01.01.02 द्वारा राजस्थान में आवासीय परियोजनाओं/टाउनशिप विकसित करने में निजी निवेश को बढ़ावा देने के सम्बन्ध में निर्देश जारी किये गये है। इन आदेशों की निरन्तरता में निम्न निर्देश दिये जाते है :–

1. विकासकर्ता द्वारा विकास शुल्क जमा कराने के स्थान पर 12.5 प्रतिशत अनुमोदित क्षेत्रफल के भूखण्ड स्थानीय निकाय/नगर विकास न्यास में रहन रखे जा सकेंगे जो विकास शुल्क जमा कराने अथवा विकास कार्य कराने पर मुक्त होंगे जिसके पट्टे उक्त विकास शुल्क की राशि जमा कराने अथवा विकास कार्य करने पर जारी किये जायेंगे। जितनी विकास शुल्क की राशि जमा नहीं होगी/विकास कार्य शेष होंगे उसी अनुपात में भूखण्ड रहन रखे जावे।

2. अनापत्ति प्रमाण पत्र भू–उपयोग परिवर्तन की शर्त के साथ दिनांक 01.01.2002 के भाग– B के पैरा–1 के अनुसार जारी की जा सकेगी। योजना के अनुमोदन, 90–बी, भू–उपान्तरण की कार्यवाही एक साथ की जा सकेगी परन्तु :–
   (i) 90(बी) का अंतिम आदेश भू–उपान्तरण की कार्यवाही पूर्ण होने के उपरान्त जारी किया जावेगा।
   (ii) योजना का मानचित्र के अनुमोदन तक प्रक्रियात्मक समस्त कार्यवाही पूर्ण कर ली जावे तथा मानचित्र जारी करने की कार्यवाही 90 (बी) के आदेश की प्रति प्राप्त होने के उपरान्त ही की जावे।
   (iii) विभाग द्वारा जारी परिपत्र क्रमांक 10(1)नविवि/3/02, दिनांक 25.03.2006 विलोपित किया जाता है।

3. नगरीय विकास विभाग की अधिसूचना क्रमांक प. 10(1)नविवि/3/2002 दिनांक 01.01.2002 के भाग बी के अनुच्छेद 5 के साथ अंकित नोट के अनुसार निवेशकर्ताओं द्वारा प्रस्तुत सूचना के अनुसार क्रेताओं को पट्टे जारी किये जावे इस बारे में नगरीय विकास विभाग द्वारा जारी परिपत्र क्रमांक प. 10(1)नविवि/3/02 दिनांक 27.12.2004 एवं क्रमांक भूमि प.–7(ड) (7)सामान्य/स्थानि/05/1355–544 दिनांक 28.01.2005 में वर्णित दिशा निर्देश क्रम संख्या–9 को विलोपित कि[redacted]

प्रमुख शासन सचिव
22.3.07

प्रतिलिपि निम्नलिखित को आवश्यक कार्यवाही हेतु सूचनार्थ प्रेषित है :–

1. निजी सचिव, माननीय राज्य मंत्री, नगरीय विकास विभाग, राज० जयपुर।
2. निजी सचिव प्रमुख शासन सचिव, नगरीय विकास विभाग, राज० जयपुर।
3. निजी सचिव, शासन सचिव, स्वायत्त शासन विभाग, राज० जयपुर।
4. आयुक्त, जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।
5. निजी सहायक, उप शासन सचिव (प्रथम) नगरीय विकास विभाग, राज० जयपुर।
6. निदेशक, स्थानीय निकाय विभाग, राज० जयपुर।
7. सचिव नगर विकास न्यास, समस्त।
8. आयुक्त, टोडार।
9. रक्षित पत्रावली।

शासन उप सचिव

(47)